रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231923
CG-DL-E-16122021-231923

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 16, 2021/अग्रहायण 25, 1943
No. 701] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 16, 2021/AGRAHAYANA 25, 1943

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 860(अ).—खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 10ख की उपधारा (4) के परंतुक केंद्रीय सरकार को, राज्य सरकार से परामर्श करके विनिर्दिष्ट नियत अवधि के भीतर किसी क्षेत्र को अधिसूचित करने, या यथास्थिति, खनन पट्टा प्रदान करने के लिए नीलामी संचालित करने हेतु सशक्त करती है और उस दशा में जहां ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जाती है या यथास्थिति, नीलामी विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूरी नहीं की गई है, केंद्रीय सरकार ऐसा क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी या यथास्थिति, ऐसे क्षेत्र में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए नीलामी संचालित कर सकेगी;

और अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के परंतुकों के अधीन किसी क्षेत्र की अधिसूचना के संबंध में या यथास्थिति, संयुक्त अनुज्ञप्ति के अनुदान के लिए नीलामी करने के लिए समान उपबंध विनिर्दिष्ट किया जाता है ;

और अधिनियम की धारा 13 के अधीन विरचित खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के नियम 9क और नियम 17क, केंद्रीय सरकार द्वारा खनन पट्टे की नीलामी करने या संयुक्त अनुज्ञप्ति यथास्थिति के संबंध में नियम का उपबंध किया जाता है;

और अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) का खंड (क) में उपबंध है कि केंद्रीय सरकार निर्देश दे सकती है कि अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली कोई भी शक्ति, ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन, यदि कोई हो, केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा भी प्रयोग किये जाने योग्य जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए;

अब अत:, केंद्रीय सरकार अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही निर्देश देती है कि अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (3) और उपधारा (4) के परंतुकों तथा धारा 11 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के परंतुकों और खनिज (नीलामी) नियम, 2015 के अधीन केंद्रीय सरकार की शक्तियां, खान मंत्रालय में डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग करने योग्य होंगी।

2. उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से उक्त अधिकारी को "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" के रूप में जाना जाएगा।

3. उक्त अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले लिखित निदेश से बाध्य होंगी।

[फा. सं. एम.IV-7/18/2021-खान IV-भाग(1)]

संजय लोहिया, अपर सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2021.

G.S.R. 860(E).—WHEREAS, provisos to sub-sections (3) and (4) of section 10B of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as the Act) empowers the Central Government to require the State Government to notify an area, or as the case may be, to conduct auction for grant of mining lease within a specified period fixed in consultation with the State Government and in case where the notification is not issued, or as the case may be, auction is not completed within the specified period, the Central Government may notify the said area, or as the case may be, conduct auction for grant of mining lease in such area;

And Whereas, similar provision is specified in respect of notification of an area, or as the case may be, conduct of auction for grant of composite licence under the provisos to sub-sections (4) and (5) of section 11 of the Act;

And Whereas, rules 9A and 17A of the Mineral (Auction) Rules, 2015 framed under section 13 of the Act provides rules regarding conduct of auction of mining lease, or as the case may be, composite licence by the Central Government;

And Whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 26 of the Act provides that the Central Government may direct that any power exercisable by it under the Act may, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification be exercisable also by such officer or authority subordinate to the Central Government;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 26 of the Act, the Central Government hereby directs that on and from the date of publication of this notification in the Official Gazette, the powers of the Central Government under the provisos to sub-section (3) and (4) of section 10B and the provisos to sub-sections (4) and (5) of section 11 of the Act and under the Mineral (Auction) Rules, 2015 shall also be exercisable by Dr. Veena Kumari Dermal, Joint Secretary to the Government of India in the Ministry of Mines;

2. For the purposes of exercising the above said powers, the said officer shall be known as the “Designated Officer”.

3. The said officer shall be bound by the written directions as may be given by the Central Government from time to time.

[F. No. M.IV-7/18/2021-Mines IV-Part(1)]

SANJAY LOHIYA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.16 22:27:39 +05'30'